

जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.

उपनियम

- 1.0 नाम, पता एवं क्षेत्राधिकार
- 1.1 संघ का नाम जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. होगा, जिसे कि उपनियमों में आगे संघ के नाम से संबोधित किया गया है।
- 1.2 संघ का/ (या इसका) पंजीकृत पता जयपुर स्थान जयपुर जिला जयपुर होगा।
- 1.3 संघ का कार्य क्षेत्र जयपुर, दौसा जिला/ जिलों तक सीमित होगा।
- 2.0 परिभाषाएँ 2.1 "अधिनियम" से तात्पर्य राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 एवं समय-समय पर उसमें होने वाले संशोधन, परिवर्तन तथा परिवर्धन से होगा।
- 2.2 "संचालन मण्डल" से तात्पर्य इन उपनियमों के प्रावधान के अनुसार गठित संचालक मण्डल से होगा।
- 2.3 व्यावसायिक वस्तुएँ (जिन्स) से दुग्ध उत्पादन, पशु आहार, कच्ची तथा संवरित कृषि उत्पादन, पैक करने की वस्तुएँ, संकलन शिल्पकर्म तथा उपकर्म में अपेक्षित है, आती है।
- 2.4 "फैडरेशन" से तात्पर्य राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लि. से होगा, जिसका संघ सदस्य है।
- 2.5 "सामान्य सभा" से तात्पर्य विशेष व सामान्य वार्षिक साधारण सभा से है।
- 2.6 "प्रबंध संचालक" से तात्पर्य इन उपनियमों के प्रावधानानुसार नियुक्त संघ के प्रबंध संचालक से है।
- 2.7 "सदस्य" से तात्पर्य उपनियम संख्या 5 के अनुसार शामिल किये गये सदस्य से है। 2.8 "पंजीयक" से तात्पर्य पंजीयक सहकारी समितियों से है, जैसा कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 में परिभाषित किया गया है।
- 2.9 "नियम" से तात्पर्य राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 के अंतर्गत बनाये गये राजस्थान नियम, 2003 एवं समय-समय पद उनमें होने वाले संशोधन से होगा।
- 2.10 "सरकार" से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है। 2.11 "संघ" से तात्पर्य जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. से है।
- 2.12 "संस्थापन समिति" से तात्पर्य संघ की उस समिति से है, जिसे उपनियम संख्या 21.3 अ के अंतर्गत गठित किया गया है 2.13 "वर्ष" से तात्पर्य सहकारी वर्ष से होगा, जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जावेगा।
- 3.0 उद्देश्य 3.1 संघ का उद्देश्य व्यवसायिक वस्तुओं के प्रभावी उत्पादन, संवरण (प्रोसेसिंग) तथा विपणन के द्वारा ऐसी गतिविधियाँ चलाना होगा, जो दुग्ध उत्पादकों के आर्थिक तथा सामाजिक विकास में सहायक हो सकें।
- 3.2 उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये संघ निम्न कार्य करेगा:-
- 3.2(1) सदस्य तथा अन्यो से, सदस्यों के हित को प्रभावित किये बिना व्यावसायिक वस्तुओं का क्रय, संग्रहण, संवरण, उत्पादन, विवरण तथा विपणन करना।
- 3.2(2) चल अथवा अचल सम्पत्तियों को स्वीकार्य अथवा पट्टा पर अथवा अन्यथा धारित करना, तथा उन्हें बेचना।
- 3.2(3) भवनों, संयंत्रों (प्लांट्स) तथा मशीनरी तथा/अथवा सहायक उपकरणों के खरीद तथा/अथवा निर्माण करना।
- 3.2(4) नई दुग्ध उत्पादक सहकारी, समितियों का गठन तथा सलाह, मार्गदर्शन, सहायता, संशोधन, नियंत्रण के द्वारा संबद्ध समितियों का विकास करना। जब आवश्यक हो यदि पंजीयक के द्वारा प्रशासक के रूप में नियुक्ति होती है, तो ऐसी समितियों का प्रबंध भी अपने हाथ में लेना।
- 3.2(5) निर्धारित उद्देश्य के लिये संबद्ध समितियों के पर्यवेक्षण की व्यवस्था करना तथा पंजीयक की स्वीकृति से पर्यवेक्षण शुल्क निर्धारण कर एकत्रित करना।
- 3.2(6) दुग्ध उत्पादन एवं पशु चारा तथा कृषि उत्पादनों को उगाने के कार्यक्रमों को हाथ में लेना, अथवा प्रोत्साहन देना। 3.2(7) दुग्ध उत्पादन वृद्धि हेतु पशु चिकित्सा तथा कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ तथा अन्य तकनीकी आदानों को उपलब्ध कराना तथा रोगहर एवं प्रतिबंधक दवाएँ देना।
- 3.2(8) पशु समूह/पशुओं की नस्ल सुधार कार्यक्रम हेतु अपनाना।
- 3.2(9) पशुओं के विपणन की व्यवस्था करना।
- 3.2(10) अन्य दुग्ध योजनाओं के लिये तकनीकी, वित्तीय, प्रशासनिक तथा अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।
- 3.2(11) चल एवं अचल संपत्तियों का आवश्यक होने पर बीमा करना।
- 3.2(12) संघ व सदस्यों से संबंधित बीमा एवं सामान्य बीमा संबंधी कार्य अभिकरण आधार पर हाथ में लेना।
- 3.2(13) सदस्यों के सामान्य हित संबंधी सभी मामलों का निपटारा करना, तथा उनके हितों का संवर्धन करना।
- 3.2(14) सहकारी प्रचार संबंधी गतिविधियाँ अपनाना, सदस्यों को सहकारी ज्ञान एवं शिक्षा प्रदान करना, एवं व्यवसायिक पद्धति में इनका उपयोग बतलाना।
- 3.2(15) संघ तथा सदस्य समितियों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- 3.2(16) राजकीय अथवा बिना राजकीय अनुदान के संघ के कर्मचारियों हेतु आवासीय व्यवस्था (स्कीम) को लागू करना।
- 3.2(17) संघ व सदस्य समितियों के कर्मचारियों के कल्याण के लिए कल्याण समिति बनाना तथा कोष बनाना एवं इन्हें सहायता देना। 3.
- 2(18) स्वतंत्र शोध व विकास संगठन की स्थापना करना, इसके कोष हेतु अंशदान करना तथा कोष अभिवृद्धि करना।
- 3.2(19) बचत योजनाओं को संगठित व प्रोत्साहित करना।
- 3.2(20) उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सामान्यतया अन्य सभी कार्य करना तथा ऐसे कार्य करना जो उपरिवर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आकस्मिक अथवा सहायक हो।
- 4.0 निधियाँ:
- 4.1 निधियाँ निम्न साधनों द्वारा प्राप्त की जा सकेगी:-

- (1) प्रवेश शुल्क (2) हिस्सा पूंजी (3) अमानत (4) ऋण (5) अनुदान, सहयोग, राजकीय सहायता (6) फंडरेशन की पूर्व स्वीकृति से संघ किसी भी विकास अभिकरण अथवा किसी वित्तीय संस्थान से, ऋण आदि ऐसे संस्थान द्वारा प्रस्तुत शर्तों एवं स्थितियों के आधार पर जिसमें आपकी सहमति हो, प्राप्त कर सकेगा।
- 4.2 संघ की अधिकृत अंशपूंजी रु. 25 करोड़ की होगी। (मण्डल के द्वारा निर्धारित की जावेगी) जो कि 100 रु. प्रत्येक के 25,00,000 / हिस्सों में विभाजित होगी तथा हिस्से खरीदते समय एक मुश्त देय होगी।
- 4.3 ऐसे किस्म की निधियां जो 4.1(3) तथा 4.1(4) में वर्णित की गई हैं, सकल प्रदत्त अंश पूंजी तथा आरक्षित निधियों तथा भवन निधियों में से संचित हानियों को घटाकर जैसा कि अधिनियम व नियम में प्रावधान है, से दस गुना से अधिक नहीं होगा। 5.0 सदस्यता: 5.1 संघ के निम्न लिखित प्रवर्गों के सदस्य होंगे:-
- (1) साधारण सदस्य एवं (2) नाम मात्र सदस्य
- 5.2 साधारण सदस्यता:
- 1.संघ की साधारण सदस्यता निम्न बिन्दु हेतु खुली रहेगी:-
-
- प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति □ राज्य सरकार
- 2.कोई भी पंजीकृत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जो संघ को दुग्ध देती है, साधारण सदस्य हो सकेगी। ऐसी समिति के उपनियम उन आदर्श उपनियमों के अनुरूप जो कि पंजीयक द्वारा अनुमोदित है, होंगे
- 5.3 नाम मात्र के सदस्य:
- संघ के वित्तीय सरोकार रखने वाले व्यक्ति तथा संघ के साथ लेन देन करने वाले (सप्लायर्स) ठेकेदार, विक्रय एजेंट, उनके प्रतिनिधि इत्यादि संचालक मण्डल के द्वारा संघ के नाम मात्र के सदस्य बनाये जा सकेंगे। ऐसे नाम मात्र के सदस्य अंश (शेयर) नहीं रख सकेंगे, परन्तु उन्हें प्रतिव्यक्ति 100रु. शुल्क के रूप में जमा कराने होंगे। उन्हें वोट देने का अथवा प्रबंध में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होगा। संघ के साथ जब तक उनके व्यवसायिक संबंध रहेंगे, तब तक वे नाम मात्र के सदस्य रहेंगे। संघ के अवसायन में आने पर उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- 5.4 प्रत्येक साधारण सदस्य कम से कम एक हिस्सा रखेगा।
- 5.5 पंजीकृत प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां, जिन्होंने कि संघ कि उपविधियों तथा इसके पंजीकरण के आवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं, वैध साधारण सदस्य माना जायेगा।
- 5.6 साधारण सदस्यों को उनके अलावा जो कि उपनियम संख्या 5.5 के अन्तर्गत आते हैं, संघ की सदस्यता हेतु लिखित में आवेदन करना होगा तथा अपेक्षित संख्या के हिस्सा को खरीदना होगा एवं साथ में 10रु प्रवेश शुल्क देना होगा।
- 5.7 संघ को, सदस्यों द्वारा संघ के साथ किए गये व्यवसायिक व्यवहार के अनुपात में, तैसा कि संचालक मण्डल के द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जावे, साधारण सदस्यों को, घोषित बोनस के अधीन रहते हुए अंश पूंजी में अंश दान जमा करने के लिए निर्देशित करने का अधिकार होगा।।
- 5.8 यदि निर्धारित तिथि को सदस्य की ओर हिस्से की राशि 6 माह से अधिक बकाया रहती है, तो संचालक मण्डल को जैसा कि वा उचित समझे साधारण सदस्य के विरुद्ध सुविधाजनक कृत्य करने का अधिकार होगा।
- 5.9 अंशधारक को भिन्न संख्या कर्मांको को एक हिस्सा प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।
- 5.10 साधारण सदस्य के पास से हिस्सा प्रमाण पत्र/पत्रों के खो जाने पर हिस्सा प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संचालक मण्डल के अनुमोदन पर सदस्य द्वारा एक रुपया प्रति हिस्सा देने पर तथा क्षतिपूर्क बन्ध पत्र निष्पादन कर देने पर देय होगी।
- 6.0 उत्तरदायित्व :- साधारण सदस्य का उत्तरदायित्व समिति के ऋणों (आभारों) के लिए उसके अवसायन (समापन) की अवस्था में उसके द्वारा कय किये गये हिस्सों के पांच गुणा मूल्य तक सीमित होगा, परन्तु राज्य सरकार का दायित्व उनके द्वारा धारित (कय किये गये) हिस्सों के मूल्य से अधिक नहीं होगा।
- 7.0 कोई भी सम्बद्ध (एफिलिएटेड) सदस्य संचालन मण्डल की संस्तुति तथा पंजीयन की स्वीकृति के बिना विघटन की स्थिति के अलावा संघ की सदस्यता नहीं छोड़ सकेगा।
- 8.0
- अधिनियम व नियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए किसी भी सदस्य को साधारण सभा में पारित विशेष संकल्प द्वारा सदस्यता से हटाया जा सकता है।
- 8.1 यदि वह लगातार उसकी ओर बकायात का चुकाने का दोषी हो तथा/अथवा संघ के प्रति आभारों को पूरा करने में आदतन असफल रहाता हो।
- 8.2 यदि वह संघ की प्रतिष्ठा को आघात पहुँचाने वाले कृत्य करता हो।
- 8.3
- यदि वह जानबूझ कर संघ को धोखा देता हो। 9.0 संचालक मण्डल ऐसे सदस्य को उसके निष्कासन के प्रस्ताव संबंधी 15 दिन का नोटिस देगा, ताकि साधारण सभा के समक्ष उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का आसर प्राप्त हो सके।
- 10.0 निष्कासन से सदस्य द्वारा धारित समस्त हिस्से भी जब्त हो सकेंगे।
- 11.0 हिस्सों का हस्तान्तरण:-
- 11.1 संचालक मण्डल की स्वीकृति से कोई भी साधारण सदस्य अपने हिस्सा/हिस्सों का हस्तान्तरण किसी दूसरे साधारण सदस्य को एक वर्ष धारण करने के उपरान्त कर सकता है।
- कोई भी हस्तान्तरण तब तक पूर्ण नहीं माना जायेगा जब तक कि हस्तान्तरिती का नाम हिस्सा हस्तान्तरण पंजिका में प्रविष्ट नहीं कर दिया जाता है, तथा हिस्सा हस्तान्तरण के लिए 1रु फीस का नहीं चुका दिया जाता है।
- सदस्यता की समाप्ति :-
- किसी साधारण सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जावेगी -
- (1) त्याग पत्र देने पर (यदि पंजीयक की अनुमति हो)। (2) अवसायन होने पर निष्कासित होने पर
- उपनियम संख्या 13 के प्रावधानों में वर्णित आभारों के पूर्णता की असफलता पर। संचालक मण्डल के द्वारा मांगे जाने पर

हिस्सा/हिस्सों की अदायगी की असफलता पर। अपने समस्त हिस्सों अथवा संघ में निहित हितों को हस्तांतरित कर देने पर। कोई भी साधारण सदस्य जिसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, ऐसी राशि के जो कि उसके द्वारा चुकाये गये हिस्सों की राशि से अधिक नहीं होगी, सदस्यता समाप्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि में, प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगा।

साधारण सदस्य का दायित्व:

प्रत्येक सदस्य के लिए आवश्यक है, कि वह

प्रस्तुत संकलित व पोलड (पूल्ड) व्यावसायिक वस्तुएँ, का स्थानीय उपभोग योग्य मात्रा को छोड़कर केवल संघ को सप्लाई करेगा तथा किसी भी अभिकरण (एजेन्सी) को सीधे न तो सप्लाई करेगा, न ही बेचेगा।

संघ के साथ व्यवसायिक वस्तुओं में किये गये व्यापार के अनुपात में संघ की मांग पर, हिस्से क्य करेगा, परन्तु ऐसे हिस्सों की राशि संघ द्वारा उसको दिए गए बोनस की राशि से अधिक नहीं होगी।

व्यावसायिक वस्तुओं के आदान(सप्लाई) के संबंध में, यथा आदान का स्थल, समय, परिवहन एवं अन्य, संघ के द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेगा।

दुग्ध अथवा अन्य व्यवसायिक वस्तुओं को शुद्ध तथा पवित्र स्थिति में इकट्ठा करेगा। संघ के उद्देश्यों की पूर्ति, संघ द्वारा जारी आवश्यक निर्देशों का पालन करेगा एवं तथा जो कोई भी सूचना संघ मांगे, वह उपलब्ध करवायेगा।

सदस्य के द्वारा उपर्युक्त एवं ऐसे दायित्वों को असफलता पर जैसा कि संचालक मण्डल निर्धारित करें, सदस्यता समाप्ति के अलावा सदस्यों को आनुषंगिक हानियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

आम सभा:

आम सभा निम्न प्रकार गठित होगी :-

सदस्य समितियों के अध्यक्ष

संचालक मण्डल के समस्त मनोनीत सदस्य

अधिनियम, नियम एवं उपनियमों के अधीन रहते हुए संघ की सर्वोच्च सत्ता आम सभा में निहित होगी।

- 14.3 संचालक मण्डल का अध्यक्ष आम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा, उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य में से बैठक के लिए अध्यक्ष चुनेंगे।
- 14.4 नियमों के अधीन वर्ष के लेखे तैयार करने के लिए निश्चित तारीख की समाप्ति के तीन माह के अन्दर अपने सदस्यों की एक साधारण सभा आवश्यक होगी, जो वार्षिक आम सभा कहलाएगी।
- 14.5 विशेष आम सभा निम्न प्रकार कभी भी बुलाई जा सकती है :-
- 14.5(1) संचालक मण्डल के बहुमत द्वारा, अथवा (2) संचालक मण्डल द्वारा एक महीने में
- 14.5(2) (ए) संघ के 1/5 साधारण सदस्यों की लिखित मांग पर। (बी) पंजीयक के निर्देश पर (सी) उस फ़ैडरेशन के जिससे संघ संबद्ध है, के संचालक मण्डल के अभियाचन द्वारा।
- 14.6 पंजीयन के बाद साधारण सदस्यों के प्रथम आम सभा को वही अधिकार प्राप्त होंगे, जो कि वार्षिक आम सभा को दिए गए हैं।
- 15.0 आम सभा का नोटिस:
- 15.1 संघ की वार्षिक आम सभा संचालक मण्डल के द्वारा कम से कम 15 दिन का नोटिस देकर बुलाई जा सकेगी, जिसमें सभा दिनांक, समय, स्थल तथा एजेन्डा का उल्लेख अनिवार्य होगा। नोटिस संघ के नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जायेगा एवं कम से कम एक स्थानीय अखबार में प्रकाशन के लिए भेजा जावेगा।
- 15.2 संघ की विशेष आम सभा, 7दिन से कम के नोटिस के द्वारा नहीं बुलाई जा सकेगी, जिसमें दिनांक, समय, स्थल तथा एजेन्डा का उल्लेख होगा।
- 15.3 किसी भी सदस्य को नोटिस देने में या नोटिस प्राप्ति में किसी भी प्रकार की दुर्घटनात्मक/घटनात्मक चूक ऐसी बैठक की कार्यवाही को अवैध नहीं करेगी।
- 15.4 आम सभा का कोरम समितियों के 2/5 प्रतिनिधियों/अथवा 50, जो भी कम हो, का होगा।
- 15.5 यदि कोरम के अभाव में आम सभा नहीं की जा सकती हो और यदि यह आम सभा बुलाने वाले नोटिस में उल्लिखित किया गया है, तो बैठक उसी दिन अन्य समय के लिए स्थगित की जा सकेगी अन्यथा उक्त बैठक किसी अन्य तारीख के लिए स्थगित कर दी जावेगी, जो 7 दिवस से कम एवं 15 दिवस से अधिक नहीं होगी। ऐसी स्थगित बैठक में मूल बैठक के विषय व एजेन्डा वे ही रहेंगे तथा बैठक के लिए कोरम का पूरा होना अनिवार्य नहीं होगी।
- 16.0 वार्षिक आम सभा:
- 16.1 अन्य संबंधित कार्यों के अलावा वार्षिक आम सभा के कार्य निम्नलिखित होंगे।
- 16.1(1) पिछली आम सभा की कार्यवाही का अनुमोदन करना।
- 16.1(2) स्वीकृत बजट के विरुद्ध हुए अधिक खर्चों का अनुमोदन करना।
- 16.1(3) संचालन मण्डल से संघ की वार्षिक रिपोर्ट, गत सहकारी वर्ष का संतुलन चित्र, व्यापार खाता तथा हानि-लाभ खाता प्राप्त करना तथा लाभ के बंटवारे हेतु स्वीकृति देना।
- 16.1(4) संघ के आगामी वर्ष के बजट व कार्यक्रमों को संचालन मण्डल की संस्तुति के अनुसार अनुमोदन करना।
- 16.1(5) रजिस्ट्रार से प्राप्त आडिट रिपोर्ट तथा उसकी आक्षेप पूर्ति प्रतिवेदन पर विचार करना।
- 16.1(6) उपनियम में उल्लिखित सीमाओं के अधीन रहते हुए बाहर से ली जाने वाली उधारों की सीमा निर्धारित करना।
- 16.1(7) संचालन मण्डल के सदस्यों व अन्य प्रतिनिधियों, जो संचालक मण्डल की व अन्य बैठकों में भाग लेते हैं, के भत्ते निर्धारित करना। पद नाम मनोनीत (ऐक्श आफिशियों) सदस्य को उसके संस्थान में मिलने वाले नियमों के अनुसार भत्ता दिया जावेगा।
- 16.1(8) आन्तरिक अंकेषकों की नियुक्ति करना तथा उनका परिश्रमिक/वेतन निर्धारित करना।
- 16.1(9) अधिनियम व नियमों के अनुसार उपविधियों में परिवर्तन, परिवर्धन, परिमार्जन व संशोधन करना।
- 16.1(10) नियमों व उपनियमों के अनुसार संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तावित किसी सदस्य के निष्कासन पर विचार करना।
- 16.1(11) किसी निर्वाचित संचालक मण्डल के सदस्य पर किये गये खर्चों को अनुमोदित करना।

- 16.1(12) संचालक मण्डल के किसी भी सदस्य को साधारण सभा के विशेष संकल्प द्वारा हटाना।
- 16.1(13) अध्यक्ष या उसकी सहमति से आये किसी विषय पर विचार करना।
- 16.2 साधारण सभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से कोई भी सदस्य किसी दूसरे सदस्य के निष्कासन व उपविधियों में संशोधन को छोड़कर किसी भी ऐसे विषय को, जिसका उल्लेख एजेण्डा नोटिस में नहीं था, विचारार्थ रख सकता है। 16.3 रजिस्ट्रार के किसी आदेश के अलावा किसी भी आम सभा में पूर्ववर्ती प्रस्ताव को निरस्त करने का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा, जब तक मूल प्रस्ताव को पारित हुए 6 माह नहीं गुजर गये हों।
- 17.0 मत देने का अधिकार:
- 17.1 प्रत्येक साधारण सदस्य को साधारण सदस्य होने के नाते एक मत देने का अधिकार होगा। किन्तु ऐसी समितियां जो निर्धारित सीमा में चुनाव से पूर्व सहकारी वर्ष में दूध नहीं देने की दोषी रही तो उसे संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आयोजित आम सभा में मत देने का अधिकार नहीं होगा। किन्तु प्राकृतिक घोषित आपदाओं में से व अन्य ऐसे कारणों से जिसमें समिति का कोई दोष नहीं हो रजिस्ट्रार छूट प्रदान कर सकता है।
- 17.2 नाम मात्र के सदस्यों को कोई मताधिकार नहीं होगा।
- 17.3 रजिस्ट्रार द्वारा मनोनीत व्यक्ति, वित्तीय संस्थान, फैंडरेशन एवं संघ के प्रबंधक संचालक को उनके संचालक मण्डल का सदस्य होने के नाते प्रत्येक को एक मत देने का अधिकार होगा।
- 17.4 वार्षिक साधारण सभा के अध्यक्ष की यह घोषणा कि प्रस्ताव हाथ खड़े करके पारित कर दिया गया है, निर्णायक होगी, बशर्ते कि ऐसी घोषणा पर मतदान कराने का कम से कम 50 या 1/3 उपस्थित सदस्यों के द्वारा मांग नहीं की गई हो।
- 17.5 मतों के बराबर रहने पर, अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकेगा।
- 18.0 संबद्धता :
- 18.1 संघ अपने आप को निम्नलिखित से संबद्ध रखेगा :-
- 18.1(1) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक (2) जिला सहकारी बैंक (3) राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैंडरेशन
- 19.0
- संचालक मण्डल: 19.1 संघ का संचालन मण्डल 16 सदस्यों का होगा।
- 19.1(1) संबद्ध दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के अध्यक्षों में से 11 सदस्य निर्वाचित होंगे, जिनमें से 7 साधारण प्रतिनिधि, 1 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग व 1 महिला होगी। यदि किसी भी प्रकार के, किसी भी कारण से, पूर्वोक्त वर्गों के सदस्य किसी भी सोसायटी की समिति में पूर्वोक्त सीमा तक निर्वाचित नहीं होते हैं या उनमें कोई रिक्ती हो जाती है, तो पूर्वोक्त वर्गों के किसी भी सदस्य की कमी या रिक्ती, ऐसी सोसायटी की समिति में पूर्वोक्त वर्गों के सदस्यों में से सहवरण द्वारा पूरी की जा, यथास्थिति भरी जायेगी।
- टिप्पणी
- चुनाव राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003 के नियम के अनुसार करवाये जायेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो अलग-अलग क्षेत्र में स्थित समितियों को संख्या के आधार पर मतदान मण्डल बनाये जावेंगे। यदि संघ का क्षेत्राधिकार एक से अधिक जिलों में होगा, तो दुग्ध उत्पादक समितियों को संख्या के अनुपात में निर्धारित संख्या में जिलेवार निर्वाचित प्रतिनिधि लिये जावेंगे। जिलेवार निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या के बारे में वर्तमान, उपविधियों के रजिस्ट्रेशन के उपरांत प्रथम चुनाव के 5 वर्ष बाद पुनर्विचार किया जा सकेगा। मतदान मण्डल का गठन संचालक मण्डल द्वारा किया जावेगा तथा रजिस्ट्रार की स्वीकृति आवश्यक होगी।
- 19.1(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में।
- (3) एक प्रतिनिधि रजिस्ट्रार सहकारी समितियों का।
- (4) एक प्रतिनिधि आर.सी.डी.एफ. का जिससे कि संघ संबद्ध है।
- (5) संघ का प्रबंधक संचालक, जो एक्स ऑफिशियां सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा।
- 19.2 संचालक मण्डल के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।
- 19.3 वार्षिक सभा के बाद संचालक मण्डल की प्रथम बैठक एक माह के अंदर अवश्य बुलाई जावेगी।
- 19.4 संचालक मण्डल के सदस्य के चुनाव होने के बाद संचालक मण्डल अपनी प्रथम बैठक में अपने में से एक अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे, जिसकी अवधि संचालक मण्डल के समानान्तर होगी। अध्यक्ष का पद किसी कारण रिक्त होजाने की स्थिति में रिक्त स्थान की पूर्ति संचालक मण्डल की आगामी बैठक में निर्वाचन से शेष अवधि के लिए की जावेगी। संचालक मण्डल में कोई उपाध्यक्ष का पद नहीं होगा।
- 19.5 राज्य सरकार/पंजीयक/वित्तीय संस्थान या अन्य किसी एजेन्सी द्वारा मनोनीत संचालक मण्डल के सदस्य अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे न ही मतदान में भाग लेंगे।
- 19.6 तथापि संघ के संचालक मण्डल का निर्वाचित प्रतिनिधि यदि अपने कार्यकाल के दौरान वह या समिति जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, इस प्रकार के कार्य करते है, जिससे कि उपविधियों के प्रावधानों का उल्लंघन होता है, तो उसकी संचालक मण्डल से सदस्यता समाप्त की जा सकेगी। इस प्रकार से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों का इस उपविधियों के उपनियम संख्या 19.7 के अनुसार सहवरण से भरा जावेगा।
- 19.7 संचालक मण्डल में साधारण सदस्यों के निर्वाचित सदस्यों को उनके कार्यकाल में मृत्यु या अन्य किसी कारण से होने वाली रिक्तियां सहवरण के द्वारा भरी जावेगी। ऐसा सहवरित सदस्य अपना पद उस सदस्य के जिसके स्थान पर वह चुना गया है, के शेष बचे हुए समय तक योग्यता संबंधी शर्तों को अधीनता में रहते हुए, धारण करेगा।
- 19.8 अध्यक्ष ही संचालक मण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। उसकी अनुपस्थिति की अवस्था में उपस्थित संचालक गण उस बैठक के लिए अपने में से एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुनाव करेंगे।
- 19.9 संचालक मण्डल उतनी बार जितनी की संघ के कार्य व्यापार हेतु आवश्यक हो, आयोजित कर सकेगा, परन्तु तीन माह में एक

- बैठक अवश्य होगी।
- 19.10 संचालक मण्डल की बैठक सामान्यतः 10 दिन के नोटिस पर बुलाई जा सकेगी, परन्तु यदि अपेक्षित हो, तो इससे कम समय के नोटिस पर भी बुलाई जा सकेगी।
- 19.11 संचालन मण्डल के 50: से अधिक सदस्यों की उपस्थिति बैठक का कोरम होगा।
- 19.12 संचालक मण्डल में प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा।
- 19.13 संचालक मण्डल की बैठकों में निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिये जावेंगे। मत बराबर रहने की अवस्था में अध्यक्ष को अपने सामान्य मत के अलावा निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
- 19.14 यदि संचालक मण्डल का कोई निर्वाचित सदस्य अपने आपको संचालक मण्डल की तीन लगातार बैठकों में बिना किसी पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रखेगा, तो उसकी संचालक मण्डल से सदस्यता स्वतः समाप्त हो जावेगी।
- 19.15 जहां पर किसी सदस्य का कोई वैयक्तिक हित है, तो न तो वह उस विषय की बहस में और न ही मतदान में भाग ले सकेगा।
- 19.16 अत्यावश्यक मामलों में, जबकी किसी विशिष्ट निर्णय हेतु संचालक मण्डल की बैठक का इन्तजार नहीं किया जा सकता हो, तो संचालक मण्डल के समस्त सदस्यों को प्रस्ताव का गश्त प्रपत्र भेजकर निर्णय प्राप्त किया जा सकता है तथा ऐसा प्रस्ताव जो समस्त सदस्यों के द्वारा अनुमोदित हो, तो वह इस प्रकार प्रभावी और बन्धकारी होगा। मानो उस निर्णय को संचालक मण्डल की बैठक में लिया गया हो तथा उसे कार्यवाही पुस्तिका (मिनिट्स बुक) में लिखा जावेगा तथा आगामी बैठक में पढ़कर सुनाया जावेगा।
- 19.17 संचालक मण्डल अथवा संचालक मण्डल के सदस्य के द्वारा सदस्यता के रूप में किये गये समस्त कृत्य, इस बात के होते हुए भी कि बाद में यह पता लगता है कि संचालक मण्डल के या सदस्य की नियुक्ति में कुछ त्रुटियां थी, उसी प्रकार सही होंगे मानो कि वे विधिवत नियुक्त संचालक मण्डल या सदस्य के द्वारा लिये गये हों।
- 19.18 संचालक मण्डल के सभी सदस्यों की सेवायें अध्यक्ष सहित निःशुल्क होगी।
- 20.0 साधारण सदस्य के प्रतिनिधियों का संचालक मण्डल के चुनाव में भाग लेने एवं सदस्य बने रहने की योग्यताएँ—
- 2.1 कोई भी सदस्य समिति का अध्यक्ष, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, संचालक मण्डल के निर्वाचन में भाग लेने एवं सदस्य बने रहने का अधिकारी नहीं होगा यदि—
- 20.1(1) अपने सदस्त उत्तरदायित्वों को जिनका कि उल्लेख उपनियम संख्या 13 में किया गया है, विगत वर्ष 31 मार्च तक पूरा कर दिया हो।
- 20.1(2) विगत ऑडिट में उसे अथवा ब श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, परन्तु राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह ऑडिट में स श्रेणी में वर्गीकृत समितियों को भी राज्य के दुग्ध आंदोलन की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए भाग लेने के लिए के लिए छूट प्रदान कर सकेगी। वे समितियां चुनाव में भाग नहीं ले सकेगी, जो विगत ऑडिट में अवर्गीकृत रखी गई हैं। 20.1(3) चुनाव के दिन कम से कम एक वर्ष से संघ का साधारण सदस्य है।
- 20.1(4) प्रकृतिक प्रकाप के अलावा विगत सहकारी वर्ष में 90 दिन से अधिक बन्द नहीं रहें हैं।
- 20.2 समिति का अध्यक्ष चुनाव के योग्य नहीं होगा अथवा चुनाव के गाद संचालक मण्डल में बने रहने योग्य नहीं होगा। यदि — 20.
- 2(1) वह राज्य सरकार/सदस्य समिति अथवा संघ का वेतन भोगी कर्मचारी है।
- 20.2(2) किसी समिति के बकाया का दोषी है तथा दण्डनीय तरीकों से उसे विरुद्ध वसूली गई है।
- 20.2(3) उसे अधिनियम की धारा 57 तथा 60 के तहत दोषी पाया गया हो अथवा अधिनियम की धारा 109 में दण्डित किया गया हो। 20.
- 2(4) बेईमान हो या बैंक का ऋण मोचन करने में असमर्थ हो, या घोषित दिवालिया हो।
- 20.2(5) संघ के हुये किसी ठेके में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः हित अथवा संघ के द्वारा बेची या खरीदी जाने वाली किसी सम्पत्ति में कोई हित हो अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित समान प्रकार की गतिविधियों में हो। अगर वह ऐसा कोई उपर्युक्त कृत्य संघ की सदस्यता में आने के उपरान्त करता है तो वह संचालक मण्डल का सदस्य नहीं रह सकेगा।
- 20.2(7) काबू से बाहर की परिस्थितियों के अलावा, जिस समिति का वह प्रतिनिधित्व करता है, उसने विगत वर्ष में कम से कम 270 दिन संघ को दूध सप्लाई किया हो।
- 20.8(8) समिति जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है ने विगत वर्ष संघ के अलावा अन्य किसी अभिकरण को दूध बेचा या सप्लाई किया हो।
- 20.2(9) समिति में, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है ने विगत वर्ष के लिए संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित न्यूनतम दूध की मात्रा सप्लाई करने में असफल रही हो।
- 20.2(10) समिति के अध्यक्ष में अधिनियम की धारा 28 में वर्णित किसी प्रकार की निर्योग्यता है।
- टिप्पणी—
- किसी सदस्य समिति को दूध सप्लाई करना उसी प्रकार का व्यवसाय नहीं माना जावेगा। क्योंकि ऐसी समिति को बेचा गया दूध केवल संघ को ही सप्लाई होगा।
- 21.0 संचालक मण्डल की शक्तियां, उत्तरदायित्व तथा कार्य:
- 21.1 संघ की समस्त नितियों को निर्धारित करने की शक्ति संचालक मण्डल में निहित होगी। संचालक मण्डल के पास समस्त शक्तियां होगी व प्रयोज्य हो सकेगी तथा वह समझौते, व्यवस्थाएँ तथा ऐसे समस्त आवश्यक व उचित कार्य करने को अधिकृत होगा, जिसके लिए संघ की स्थापना हुई है तथा अधिनियम व नियमों के अधीन रहते हुए एवं ऐसे अधिनियम का स्थान लें तथा नियमों के जो राज्य सरकार के द्वारा पारित किये जावें तथा उपविधियों के या ऐसी उपविधियों के जो संघ के द्वारा विधिवत् रूप से स्वीकृत की जावे, के अधीन रहते हुए संघ के हितों को प्राप्त करने तथा उसकी अभिवृद्धि करने का अधिकार होगा।
- 21.2 इस उपविधियों के द्वारा देय सामान्य शक्तियों के अलावा संचालक मण्डल को निम्नलिखित शक्तियां व अधिकारिताएँ स्पष्ट रूप से दी व सुनिश्चित की जाती है।
- 21.2(1) पूर्व बैठक की कार्यवाहियों का अनुमोदन करना।

- 21.2(2) सदस्यता, हिस्से तथा उनके हस्तान्तरण के आवेदनों का निपटारा करना।
- 21.2(3) ऋण लेना, सदस्यों से डिपोजिट स्वीकार करना तथा इनके लिए शर्तें निर्धारित करना।
- 21.2(4) उपविधियों के अनुसार सदस्यों के द्वारा, संघ के साथ किये गये व्यवसाय के अनुपात में हिस्से खरीदने के लिए कहना। 21.2(5) मासिक/त्रैमासिक तलपट, राजस्व तथा पूंजीगत खर्चों को अनुमोदित करना।
- 21.2(6) आडिट मीमों पा विचार करना तथा उसकी पूर्ति रिपोर्ट पठाना।
- 21.2(7) पिछले समाप्त होने वाले सहकारी वर्ष के संतुलन चित्र, व्यापार खाता तथा हानि-लाभ खातों का अनुमोदित व प्रमाणित करना तथा लाभ के विनियोजन की संस्तुति करना तथा पूर्व वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना तथा आम सभा में रखने के लिये बजट तैयार करना।
- 21.2(8) गबन, चोरी, दुरुपयोग अथवा कर्मचारियों द्वारा रोकड़, सामान तथा प्रतिभूतियों को नुकसान के विरुद्ध समुचित सुरक्षाओं की व्यवस्था करना।
- 21.2(9) सम्पत्ति के नुकसान के विरुद्ध बीमा की व्यवस्था करना तथा बीमा हेतु अभिकरण का कार्य करना।
- 21.2(10) समितियों के व्यवसाय के उद्देश्य के लिए तथा कर्मचारियों से स्टाफ नियमों के तहत ऋणों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करना।
- 21.2(11) संघ के प्रयोग हेतु भूमि तथा भवनों को पट्टे या अन्यथा आधार पा खरीदने के लिए अथवा उपर्युक्त को सदस्यों को किराये पर देने के लिए स्वीकृति प्रदान करना तथा संघ के ऑफिस के लिए एंव सामान के रखरखाव के लिए परिसर अधिग्रहित करना अथवा पट्टे पर लेना।
- 21.2(12) पर्सनल कमेटी (संस्थापन समिति) की सिफारिशों पर विचार कर अनुमोदन करना तथा जहां नियमों के तहत जरूरी हो वहां रजिस्ट्रार की स्वीकृति से लागू करना।
- 21.2(13) राज्य एंव अन्य प्रतिभूतियों को अग्रेषित करने, विक्रय एंव हस्तान्तरित करने का तथा इस संबंध में संचालक मण्डल के अन्य दो या दो से अधिक सदस्यों को अधिकृत करने का अधिकार होगा।?
- 21.2(14) भूमि तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों की यदि संघ के व्यवसाय में उनकी आवश्यकता नहीं है, तो विक्रय करना। 21.2(15) प्रबंध संचालक को व्यवसायिक वस्तुओं को उधार पर बेचने के लिए अधिकृत करना।
- 21.2(16) जब कभी आवश्यक हों, रजिस्ट्रार के निर्देश पर वित्तिय उत्तरदायित्वों के सहित या रहित किसी सदस्य समिति का प्रबंध अपने हाथ में लेने की स्वीकृति देना।
- 21.2(17) कर्मचारियों के कल्याण के लिए कल्याण समिति तथा उसके लिए कोष बनाना तथा सहयोग/अथवा सहायता देना। 21.2(18) संघ अथवा संघ के अधिकारियों अथवा अन्यथा संघ के मामलों से संबद्ध रहने वालों के द्वारा या विरुद्ध किसी विधिक प्रक्रिया को शुरू करना, संचालित करना, बचाना, मिश्रित करना तथा छोड़ना तथा भुगतान के लिए समय निर्धारित करना अथवा बकाया ऋणों के भुगतान को निर्धारित करना तथा संघ के द्वारा या विरुद्ध वादों तथा/अथवा मांगों को पंच निर्णय या अन्यथा द्वारा निर्धारित करना।
- 21.2(19) किसी ऐसे सदस्य का जिसका आचरण संघ के हित के विरुद्ध है को हटाने के लिए उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत के मतदान से प्रस्ताव पारितकर आम सभा को अभिस्तावना करना।
- 21.2(20) संघ के संचालक मण्डल तथा प्रबंध संचालक की प्राधिकारिता से प्रयोज्य होने वाली मुहर का निर्धारण करना।
- 21.2(21) संघ के उपनियमों के अधीन प्रबंध संचालक को आपने किसी विषय तथा/अथवा शक्तियों तथा/अथवा कर्तव्यों का प्रत्यायोजन करना।
- 21.2(22) प्रबंध संचालक की किसी भी अधिकारी या अधिकारियों को संचालक मण्डल द्वारा प्रदत्त कोई व्यवसाय तथा/अथवा शक्तियां तथा/अथवा कर्तव्यों को प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकृत करना जिन्हें कि उपविधियों के अधीन संचालक मण्डल ने प्रबंध संचालक को प्रत्यायोजित की है।
- 21.2(23) वित्तीय संस्थाओं से ऋण अथवा अनुदान के विषय में आपसी सहमति में समझौते की शर्तों तथा स्थितियों का निर्धारण करना।
- 21.2(24) अपने अधिकार व कर्तव्य अन्य किसी कमेटी को न सौंपना।
- 21.3(अ) संस्थापन समिति—
संघ में एक संस्थापन समिति — (पर्सोनल कमेटी) होगी, जिसका गठन निम्न प्रकार होगा:
1) अध्यक्ष संघ 2) एक प्रतिनिधि आर.सी.डी.एफ. 3) एक प्रतिनिधि रजिस्ट्रार 4) प्रबंध संचालक, संघ (सदस्य सचिव) परन्तु शर्त यह है कि प्रबंध संचालक उन सभी मामलों में जिनका संबंध उससे खुद से है भाग नहीं ले सकेगा। सभी सदस्यों की उपस्थिति (कोरम) के लिए आवश्यक होगी।
- 21.3(ब) निम्नलिखित संस्तुत करने के अधिकार होंगे —
(1) नियुक्ति, पदस्थापन, सेवामुक्ति तथा अन्य सेवा स्थितियों की नीति निर्धारण का तथा (2) भर्ती हेतु चयन बोर्ड के रूप में कार्य करने का (3) कर्मचारियों के विभिन्न प्रवर्गों की कुल संख्या योग्यतायें तथा अनुभव इत्यादि की अभिस्तावना करने का (4) संचालक मण्डल को कर्मचारियों की वेतन श्रृंखला, भत्ते तथा अन्य सुविधाओं के बारे में सलाह देना।
- 22.0 प्रबंध संचालक :
- 22.1 प्रबंध संचालक फैंडरेशन के द्वारा संघ के परामर्श से नियुक्त किया जावेगा। उसके निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे। 22.
- 1(1) संघ के प्रशासन, प्रबंध, वित्त तथा व्यवसाय पर सामान्य नियंत्रण रखेगा।
- 22.1(2) संचालक मण्डल की बैठकें बुलाना तथा जिस प्रकार संचालक मण्डल चाहें, अथवा यदि आवश्यक हो या अपेक्षित सदस्यों की मांग पर, या फैंडरेशन या रजिस्ट्रार की मांग पर, आम सभा की बैठक बुलाना।
- 22.1(3) संचालक मण्डल तथा आम सभा के सचिव के रूप में कार्य करना तथा संचालक मण्डल व अन्य बैठकों की कार्यवाही को मिनट बुक में रिकार्ड कर अध्यक्ष के साथ हस्ताक्षर करना।
- 22.1(4) नियमानुसार संघ के कर्मचारियों को सेवा से निलम्बित, दण्डित (बर्खास्तगी सहित) करना।
- 22.1(5) स्टाफ के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- 22.1(6) संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित सीमा में व्यवसायिक उधार देना।
- 22.1(7) व्यापारिक वस्तुओं के परिवहन, भार लदान, अग्रेषण तथा भण्डारण की व्यवस्था करना।

- 22.1(8) निर्यात व आयात व्यवसाय की व्यवस्था करना।
- 22.1(9) सरकार तथा अन्य संगठनों में सौदा/वार्ता करना।
- 22.1(10) संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित राजस्व खर्च करना।
- 22.1(11) संघ की सम्पत्ति का बीमा कराने की व्यवस्था करना।
- 22.1(12) लेखों को उचित रूप से प्रतिपादित करवाने की व्यवस्था करना।
- 22.1(13) संघ के स्टाफ तथा स्टोर्स का त्रैमासिक परीक्षण, प्रमाणन की व्यवस्था करना।
- 22.1(14) संघ के लिए व संघ की ओर से चैक एवं अन्य विनियम साध्य पत्रों का पृष्ठांकन करने, हस्ताक्षर करने एवं नेगोशियेट करने का अधिकार होगा। उसे ही समस्त जमा व प्राप्तियों पर हस्ताक्षर करने तथा किसी भी बैंक खाते में लेन-देन करने का अधिकार होगा।
- 22.1(15) संघ की ओर से अभियोग प्रबंध संचालक के द्वारा चलाये जावेंगे तथा संघ के विरुद्ध चलाये गये अभियोग उसी के नाम से होगा। समस्त बॉण्ड्स तथा दस्तावेज उसी के नाम से होंगे।
- 22.1(16) समस्त कागजातों, प्रोमेसरी नोटों, ऋण बाण्ड्स आदि की अभिरक्ष की व्यवस्था करना।
- 22.1(17) वार्षिक रिपोर्ट, सन्तुलन चित्र, व्यापार तथा हानि लाभ खाता तथा बजट को तैयार करने व संचालक मण्डल के समक्ष रखने की व्यवस्था करना।
- 22.1(18) ऑडिट मीमों को अविलम्ब संचालक मण्डल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करना तथा उसकी पूर्ति हेतु अग्रिम कदम उठाना तथा पूर्ति रिपोर्ट समय पर अंकेक्षकों के समक्ष रखना।
- 22.1(19) अपनी समस्त या किसी शक्ति एवं उत्तरदायित्वों को अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को प्रत्यायोजित करना परन्तु अन्तिम नियन्त्रण एवं अधिकार स्वयं में रहेगा।
- 22.1(20) उपविधियों के प्रावधानों के तथा आम सभा के प्रस्तावों के निर्देशनों के अधीन रहते हुए प्रबन्ध संचालन को संघ के व्यवसाय को चलाने की पूर्ण प्राधिकारिता होगी।
- 22.2 प्रबंध संचालक की अनुपस्थिति में उसके कार्य को अध्यक्ष की स्वीकृति से संघ का वरिष्ठतम अधिकारी निष्पादित करेगा। 23.0 लाभ वितरण:
- 23.1 अधिनियम तथा नियमों के अधीन रहते हुये शुद्ध लाभ को निम्न प्रकार से बांटा जावेगा:-
- 23.1(1) 25 प्रतिशत संघ के सुरक्षित कोष में जमा होगा।
- 23.1(2) 1 प्रतिशत सहकारी शिक्षा कोष में जमा होगा।
- 23.1(3) अ राज्य सहकारिता नवीनीकरण कोष में तीन प्रतिशत एवं सुदृढीकरण कोष में दो प्रतिशत।
- 23.1(4) 10 प्रतिशत तक राशि प्रदत्त हिस्सा पूंजी पर लाभांश के रूप में बांटा जायेगा।
- 23.2 शेष बचे हुए लाभ का निम्न प्रकार से बंटवारा किया जायेगा।
- 23.2(1) सदस्यों को, उनके द्वारा संघ के साथ किये गये व्यापार के आधार पर बोनस दिया जावेगा, जो अधिनियम व नियमों में अंकित प्रावधानों के अनुसार देय होगा। परन्तु असदस्यों द्वारा किये गये व्यवसाय पर मिलने वाला बोनस, सदस्यों में वितरित नहीं किया जाकर रिजर्व फण्ड में किया जावेगा।
- 23.2(2) 10 प्रतिशत कल्याण कोष में।
- 23.2(3) 2 प्रतिशत डिवीडेन्ट इक्वीलाईजेशन फण्ड में।
- 23.2(4) 5 प्रतिशत सहकारी प्रचार कोष में।
- 23.2(5) 3 प्रतिशत शेष एवं विकास कोष में।
- 23.2(6) 1 प्रतिशत सहकारी शिक्षा कोष में जता होगा।
- 23.3 लाभ वितरण में कोई भी परिवर्तन रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति से होगा।
- 23.4 यदि डिवीडेन्ट उस तारीख से जबकी आम सभा में यह घोषित होता है, ये 6 माह के अन्दर ज़ा नहीं किया जात है, तो यह सदस्य को उसके स्वयं के खर्चे पर भेज दिया जावेगा या उसके स्वयं के संघ के खाते में जमा कर दिया जावेगा। 24.0 सामान्य सुरक्षित कोष तथा अन्य कोष: 24.1 इन उपविधियों की संख्या 23:1.1 के प्रावधानों के अलावा समस्त प्रवेश शुल्क, जब हिस्सा की प्राप्ति, अर्थ दण्ड (उस अर्थ दण्ड को छोड़कर जो कि कर्मचारियों से वसूल किया जाता है) सुरक्षित कोष में जमा किया जावेगा।
- 24.2 सामान्य व्यापारिक आय के अतिरिक्त अन्य कोई आय, अतिरिक्त उपलब्धियों तथा रिजर्व, दान के अलावा जो विशिष्ट उद्देश्य के लिए लिया गया है, सामान्य सुरक्षित कोष में डाला जावेगा तथा समय-समय पर संचालक मण्डल के द्वारा आम सभा की स्वीकृति से उपयोग किया जावेगा।
- 25.0 लेखे व रिकार्ड्स:
- 25.1 संघ का लेखीय वर्ष राज्य सरकार द्वारा नियमों के तहत सहकारी संस्थाओं के लिए एतदर्थ घोषित वर्ष होगा। लेखा पुस्तक तथा अन्य रिकार्ड नियमों में विहित तरीकों के अनुसार रखा जावेगा तथा ऐसे रिकार्ड जो कि अवाश्यक प्रतीत हों, रखे जावेंगे।
- 25.2 संघ का कोई भी सदस्य अपने स्वयं के व्यवसायिक संव्यवहारों के संबंध के कार्यालय समय के दौरान आपे व्यापार से संबंधित किसी भी रजिस्ट्रार का निरीक्षण कर सकेगा।
- 25.3 विगत वर्ष की परिसम्पत्तियों तथा उत्तरदायित्वों, व्यापार खाता तथा हानि-लाभ खातों को प्रदर्शित करने वाले स्टेटमेंट, निर्धारित सहकारी वर्ष की समाप्ति के 45 दिवस में तैयार कर लिये जावेंगे।
- सदस्य समितियों के उपनियमों में किन्हीं प्रावधानों के अभाव में अथवा विरोध अथवा असंगतता की स्थिति में अधिनियम व नियमों के अधीन रहते हुए, संघ के उपनियम अधीभावी माने जावेंगे।
- 27.0 नोटिस की तामिल:
- 27.1 जब कभी इस उपविधियों के अनुसार यह आवश्यक हो कि सदस्य समिति को नोटिस दिया जावे, उस समिति के प्रजीकृत पते पर देय नोटिस को यह माना जावेगा कि उसकी तामिल हो गयी है।

- 28.0 संशोधन:
- 28.1 साधारण सभा की बैठक में पारित विशेष संकल्प के बिना संघ के उपनियमों में परिवर्तन, परिवर्धन, प्रत्यावर्तन व संशोधन नहीं किया जा सकेगा। सभा के नोटिस में उन प्रस्तावित परिवर्तनों, परिवर्धनों व प्रत्यावर्तनों का उल्लेख जरूरी होगा जो करने प्रस्तावित है। किसी भी प्रकार का परिवर्तन रजिस्ट्रार महोदय की अनुमति के बिना प्रभावी नहीं होगा।
- 29.0 अपील:
- 29.1 संचालक मण्डल के विरुद्ध अपील निर्णय से 2 माह की अवधि में आम सभा में की जा सकेगी। आम सभा के निर्णय के विरुद्ध अपील रजिस्ट्रार या अधिनियम व नियमों के अधीन अधिकृत किसी अधिकारों को की जा सकेगी।
- 3.0 संघ के संबंधित विवाद:
- 30.1 संघ के कार्य, व्यवसाय संबंधित विवाद राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 व नियमों के अन्तर्गत सुलझाये जायेंगे।
- 30.0 उपविधियों का निर्वचन:
- 30.1 इस उपविधियों के निर्वचन के संबंध में किसी भी समय कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर रजिस्ट्रार को प्रेषित कर दिया जावेगा। जिसका निर्णय सभी पक्षों पर अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

